न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 25/2022

प्रार्थी

श्रीमती नथुदेवी बेवा श्री केसाराम जाति सरगरा निवासी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्रीमती सविता देवी पत्नि श्री चेनाराम जाति सरगरा निवासी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्रीमती सविता देवी पत्नि श्री सीताराम जाति कलबी निवासी पुरानी भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री डासुराम माली जाति माली निवासी पुरानी भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. सरपंच ग्राम पंचायत भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री प्रकाश धवल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री चन्द्रप्रकाश कूम्पावत व शीतल लौहार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या तीन व चार अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक 07.10.2025**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या चार द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में पट्टा संख्या 002423 दिनांक 17.12.2009 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश कूम्पावत ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जबाव पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या तीन व चार की ओर से इस न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश धवल द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या चार ने अप्रार्थी संख्या एक के हक में पट्टा संख्या 002423 दिनांक 17.12.2009 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत विधि विरूद्ध जारी किया गया है, जिसकी पात्रता अप्रार्थी संख्या–एक नही रखता है। अप्रार्थी संख्या–एक को सदोष लाभ देने के नियत से बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये उक्त पट्टा जारी किया गया है जो कानूनन गलत है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि उक्त पट्टे में अंकित चतुर्दशी में दक्षिण दिशा में पडत भूमि व प्रार्थिया के पति श्री केसाराम का मकान बताया है। प्रार्थिया के पति का स्वर्गवास हो चुका है। चतुर्दशी में

जिला कलेक्टर, सिरोही

लगातार पेज नं. 02

अंकित पडत भूमि नाप उत्तर–दक्षिण 40 फीट, पूर्व–पश्चिम 12.5 फीट कुल 500 वर्गफीट पर प्रार्थिया का अपने पति के जीवनकाल से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है और उक्त 500 वर्गफीट की भूमि जो प्रार्थिया की कब्जेशुदा है, को सम्मिलित करते हुए जो आलोच्य पट्टा संख्या 002423 दिनांक 17.12.2009 को जारी किया गया है, वह विधि विरूद्ध जारी होने से निरस्त योग्य है। यह है कि उक्त विवादित भूखण्ड पर प्रार्थिया व प्रार्थिया की माता का अपने पूर्वजों के समय से अनवरत कब्जा चला आ रहा है, जिसकी पुष्टि इससे होती है कि अप्रार्थी संख्या दो ने प्रार्थिया व प्रार्थिया के पुत्र श्री रमेश के विरूद्ध एक दावा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश आबूपर्वत में वास्ते कब्जा दिलाने का पेश किया, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि जिस स्थल का आलौच्य पट्टा संख्या 002423 जारी किया उस स्थल पर वर्तमान में प्रार्थिया का कब्जा है एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो का कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही अप्रार्थी संख्या एक का उक्त स्थल से कोई लेना–देना है। यह है कि उक्त विवादित पट्टा अप्रार्थी संख्या चार ग्राम पंचायत भावरी द्वारा जारी किया गया, उस समय ग्राम पंचायत भावरी में अप्रार्थी संख्या एक का पुत्र श्री राजेन्द्र सहायक सचिव के पद पर कार्यरत था, जिसने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए एवं नियम कायदों को ताक में रखकर प्रार्थिया के कब्जेशुदा भूखण्ड पर उक्त विवादित पट्टा अप्रार्थी संख्या एक के नाम गलत रूप से जारी कर दिया, जबकि अप्रार्थी संख्या एक का उक्त भूखण्ड से कोई लेना–देना नहीं है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक के पुत्र श्री राजेन्द्र ने ग्राम पंचायत भावरी में सहायक सचिव के पद पर रहते हुए उसी दिन चार पट्टे जारी किए जो उसके पिता चेनाराम के नाम पट्टा संख्या 002422 एवं माता श्रीमती सविता के नाम पट्टा संख्या 002423 और चाचा श्री कन्हैयालाल के नाम पट्टा संख्या 002424 एवं चाची श्रीमती श्रीमती लक्ष्मीदेवी के नाम पट्टा संख्या 002425 गलत रूप से जारी किए गए थे। यह है कि उक्त पट्टा नियम 157(2) के तहत जारी किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या एक का इन्द्रा कॉलोनी सरूपगंज में मकान होते हुए भी उक्त पट्टा जारी किया गया है, जिससे अप्रार्थी संख्या चार द्वारा राज. पंचायतीराज नियम 157(2) की खुली अवहेलना की गई है। पंचायत द्वारा उक्त आलौच्य पट्टा जारी करते समय प्रार्थी को कोई नोटिस या सूचना नहीं दी जिससे तत्समय उक्त पट्टा जारी होने की प्रार्थिया को जानकारी नहीं हो सकी, जिससे प्रार्थिया नियमानुसार आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर उक्त विवादित पट्टा संख्या 002423 दिनांक 17.12.2009 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश कूम्पावत व शीतल लौहार ने दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में नियमानुसार पट्टा विलेख जारी किया गया है एवं उक्त पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह कि भौतिक स्थिति अनुसार ही पट्टे में चतुर्दशी दर्ज की गई है और उसी अनुसार चतुर्दशी विक्रय विलेख में अंकित की गई है। चतुर्दशी में वर्णित पड़त भूमि नाप दक्षिण 40 फीट, पूरब पश्चिम 12.5 फीट कुल 500 वर्गफीट पर प्रार्थीया का अपने पति के जीवन काल से निरंतर कब्जा चला आ रहा होना गलत है। उक्त पड़त भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की है। प्रश्नगत पट्टे वाली भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक का वर्ष 1973 से कब्जा चला रहा है। अप्रार्थी संख्या एक व उसका परिवार धनारी बांध फूटने से बेघर बार हो गए थे और उन्हें विस्थापित कर उक्त स्थान पर आश्रय दिया गया था। तब से अप्रार्थी संख्या एक मय परिवार उक्त भूखण्ड पर केलुपोश मकान बनाकर निवास कर रही थी। प्रार्थीया का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा। प्रार्थीया के पति रेलवे में कर्मचारी थे और वे बनास गांव में रहते थे। प्रार्थीया के पति ने सर्वप्रथम सन् 1995 में रबारियों के वास वाली भूमि पर कब्जा किया था, उसके पूर्व भी प्रार्थीया के पति का निवास पुरानी भावरी में था। प्रश्नगत पट्टा संख्या 002423 वाली भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक का पुराना निवास होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक व उसके परिजनों का कब्जा था। अप्रार्थी संख्या एक से उक्त भूमि खरीद किए जाने के समय से अप्रार्थी संख्या दो उक्त भूमि पर काबिज हुई। ग्राम पंचायत से अप्रार्थी संख्या दो द्वारा निर्माण अनुमति चाहने के

लगातार पेज नं. 03

जिला कलेक्टर, सिरोही

बाद दिनांक 18.11.2014 को प्रार्थीया व उसके पुत्र द्वारा नींव खोदकर उक्त भूखंड पर निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था। अप्रार्थी संख्या दो व उसके परिजनों द्वारा आपत्ति किए जाने पर प्रार्थिया व उसके परिजन गेती फावड़े लेकर मारपीट करने को उतारू हुए। ग्राम पंचायत में शिकायत प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण तुरंत प्रभाव से रोका गया। प्रार्थीया व उसके पुत्र द्वारा भूखण्ड पर पुनः प्रवेश करने की स्थिति में जाति से अपमानित करने व अन्य धाराओं में अप्रार्थी संख्या दो व उसके परिजनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए जाने की धमकी दी गई। मजबूरन अप्रार्थी संख्या दो को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने व भूमि के कब्जे को उपयोग उपभोग से वंचित रहने का हर्जा प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत करना पड़ा। दिनांक 18.11.2014 के पूर्व उक्त भूमि पर प्रार्थीया अथवा उसके किसी परिजन का कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थीया ने सही तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए हैं और प्रार्थिया स्वच्छ हाथों से नहीं आई है। यह कि प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पुत्र राजेंद्र कुमार के सम्बन्ध में कूटरचित कथन किए हैं, क्योंकि अप्रार्थी संख्या एक का पुत्र राजेंद्र कुमार दिनांक 13.08.2006 से 31.03.2007 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में ग्राम पंचायत में ग्राम सहायक पद पर अवश्य कार्यरत था, परन्तु उक्त नियुक्ति अस्थाई थी। यह कि प्रश्नगत पट्टा वर्ष 2009 में जारी हुआ है। उक्त से असंगत हुए बिना निवेदन है कि किसी आवेदक के परिवार के सदस्य का पंचायत में कार्यरत होना मात्र पट्टा प्राप्त करने के उसके अधिकार अथवा पात्रता को समाप्त नहीं कर देता है। पंचायत के पदाधिकारी भी नियमानुसार पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, परन्तु उन्हें पट्टा प्रदान करने की उस प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार अवश्य नहीं रहता है। अप्रार्थी संख्या एक के पुत्र के पंचायत सहायक रहने मात्र से अप्रार्थी संख्या एक की पात्रता समाप्त नहीं हो जाती है। प्रार्थिया ने स्पष्ट नहीं किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा किन नियम कायदों को ताक में रखकर विवादित पट्टा जारी किया है। नियम व प्रावधान विधिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बनाए गए हैं ना कि उनकी आड़ में अड़चनें व उलझने पैदा करने के लिए। प्रार्थीया का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह केवल उक्त भूमि हड़पने की नियत से कभी अपनी माता के कब्जेशुदा व कभी अपने पति के कब्जेशुदा भूमि होना दर्शा रही है। जबकि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक का करीब 45 साल पुराना मकान बना हुआ होने से उक्त भूमि नियम 157 (2) के तहत विक्रय की गई है। अप्रार्थी संख्या एक अपने स्वतंत्र व पृथक हैसियत से प्रश्नगत पट्टेवाली भूमि पर काबिज थी तथा श्री चेनाराम, कन्हैयालाल व श्रीमती लक्ष्मी अपने स्वतंत्र व पृथक हैसियत से भूमि पर काबिज थे। ग्राम पंचायत द्वारा उनके कब्जे की पुष्टि कर भूमि का प्रतिफल प्राप्त कर विनियमितिकरण किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा एक ही दिनांक को कार्यवाही किए जाने मात्र से सम्पूर्ण प्रक्रिया को अवैध नहीं कहा जा सकता है। यह कि अप्रार्थी संख्या चार के रूप में पक्षकार सरपंच है ना कि ग्राम पंचायत। प्रार्थिया अथवा उसके अधिवक्ता नियम 157 (2) के प्रावधान न तो समझ पाए हैं और ना ही विक्रय विलेख की वस्तुस्थिति को ही पढ़ा जाना प्रतीत होता है। यह कि प्रार्थिया स्वयं के पति का मकान प्रश्नगत पट्टेवाली भूमि के दक्षिण में स्थित है और प्रार्थिया अपने पति के मकान के होते हुए प्रश्नगत भूमि पर अधिकार होने का दावा कर रही है। उक्त स्थिति में अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा विधि विरुद्ध किसी भी रूप में नहीं हो सकता है। अप्रार्थी संख्या एक का पुराना आवासीय मकान होने के कारण उक्त भूमि का विक्रय के जरिए विनियमन किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ने भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु पचांयत में आवेदन पेश किया था, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पत्रावली बनाई गई है। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति आमंत्रित करने का नोटिस दिनांक 29.08.2008 को नियमानुसार जारी किया गया है और प्रश्नगत संपत्ति पर चस्पा किया गया है। यदि प्रार्थिया अथवा उसकी माता प्रश्नगत संपत्ति पर काबिज होती तो उन्हें उक्त नोटिस की जानकारी अवश्य होती। अप्रार्थी संख्या चार द्वारा कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है बल्कि ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई है। उक्त से असंगत हुए बिना निवेदन है कि प्रार्थिया अपने पति के साथ दक्षिण दिशा में स्थित मकान में निवास कर रही है और प्रार्थिया को पट्टा जारी करने की ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी आरम्भ से है। प्रार्थिया की माता ग्राम वासा की निवासी है। प्रार्थिया की माता का कभी भी प्रश्नगत पट्टे वाली भूमि पर

जिला कलेक्टर, सिरोही

लगातार पेज नं. 04

कब्जा नहीं रहा है और ना कभी ग्राम भावरी में उनका निवास ही रहा है। प्रार्थिया ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जो प्रश्नगत पट्टे वाली भूमि पर उसका अथवा उसकी माता का पुराना कब्जा साबित करती हो। पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा नियमानुसार होने से किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 166 के तहत आबादी भूमि विक्रय करने के पंचायत के मूल आदेश की अपील अधिनियम की धारा 61 के तहत किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिन मामलों में अपीलें प्रावधानित है, उन मामलो में निगरानी के जरिये हस्तक्षेप करना अपीलीय न्यायालयों द्वारा अवैध होना विनिश्चित किया है। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी क्षेत्राधिकार में नहीं होने से अपरिपोषणीय और खारिज योग्य है। यह कि प्रार्थीया ने निगरानी के अवधि मध्य होने बाबत कोई कथन नहीं किया है। सामान्य अवधि अधिनियम के तहत निगरानी हेतु 90 दिन की अवधि निश्चित है अतः अन्यथा भी निगरानी म्याद बाहर है। विधि में हर अनुतोष हेतु अवधि नियत है। प्रार्थी की निगरानी न तो अवधि मध्य है और न निगरानी पोषणीय ही है। माननीय न्यायालय ने भी प्रार्थी की याचिका दर्ज करने में गंभीर विधिक त्रुटी की है। निगरानी हेतु जहां अवधि का प्रावधान नहीं है, वहां यथोचित समय के भीतर किया जाना माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय 1997 SAR 783 में व उच्च न्यायालय ने 1999 RLW [3] 1390 में अभिनिर्धारित किया है। यह कि प्रार्थीया ने ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में भूमि के विनियमितिकरण के प्रस्ताव को चुनौती नहीं दी है। मूल प्रस्ताव के अस्तित्व में रहते कोई प्रभावकारी अनुतोष प्रार्थीया को प्रदान नहीं किया जा सकता है। यह कि नियमों की पालना करने का दायित्व ग्राम पंचायत का था। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पालना विधिवत की गयी है एवं उसमें कोई अनियमितता नहीं है। यह कि विवादित विनियमितीकरण पट्टे वाले मकान 50 वर्ष से भी अधिक पुराने बने हुए थे। अप्रार्थी संख्या दो उक्त मकान में निवास कर रही थी। अप्रार्थी संख्या दो ने अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार पुराने मकान को गिरवा कर नवनिर्माण करवाने हेतु पंचायत से अनुमति मांग कर नवनिर्माण आरम्भ करवाया था। निगरानी में कोई अनुतोष पट्टा–विक्रय विलेख को निरस्त करने बाबत नहीं चाहा गया है। तथापि यदि अप्रार्थी के पट्टा विक्रय विलेख को वैध होते हुए भी निरस्त कर दिया जाता है तो अप्रार्थी को अपरिमेय क्षति होगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थिया का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या तीन व चार के द्वारा इस न्यायालय में किसी भी प्रकार की उपस्थिति नही दी गई एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में इनको जबाव प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर प्रदान किए जाने के उपरान्त इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया गया है।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलिभॉति अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अप्रार्थी संख्या चार सरपंच ग्राम पंचायत भावरी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में पुराने कब्जेशुदा भूमि/भवन का पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पंचायत की बैठक मे सर्व सम्मति से लिया जाकर अप्रार्थी संख्या एक के हक में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा संख्या 002423 दिनांक 17.12.2009 को 1000 वर्गफीट क्षेत्रफल का 200/–रूपये प्राप्त कर जारी किया गया है। नियम 157(2) इस प्रकार है–

ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह/गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी झोंपड़ी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्गगज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररूप 23ख में) ऐसी महिला के नाम से जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

जिला कलेक्टर, सिरोही

लगातार पेज नं. 05

जहां तक अप्रार्थी संख्या एक व दो के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किए जाने का कथन है, तो इस संबंध मे विधिक दृष्टान्त सएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियॉ जिला कलेक्टर को दी गई है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1953 की धारा 27(क) सपठित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961 के नियम 272 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है। साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।

अप्रार्थी संख्या एक व दो के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र लम्बे समय बाद प्रस्तुत किया है अप्रार्थी संख्या एक व दो के अधिवक्ता का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी विधिक दृष्टान्तों मे पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण मे भी समयावधि के बारे मे उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायजीराज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत उन्हीं पात्र परिवारों को पट्टा जारी किया जाता है, जिनके पास कहीं भी कोई गृह/गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी झोंपडी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्गगज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितीकरण के हकदार होंगे। इस प्रकरण में भी सरपंच ग्राम पंचायत भावरी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को राजस्थान पंचायजीराज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत ही पट्टा जारी किया गया है, परन्तु उक्त विवादित पट्टो जारी होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टे के भूखण्ड का बेचान अन्य व्यक्तियों को किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उक्त विवादित पट्टे की भूमि/भूखण्ड को अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दिए जाने से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या एक के पास अन्य कोई भूखण्ड है, जिसमें वह निवासरत है। यदि किसी परिवार के पास अन्य कोई मकान/भूखण्ड है तो उसे नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अप्रार्थी संख्या एक के पति के नाम से भी उसी दिन पट्टा संख्या 002422 दिनांक 17.12.2009 को ग्राम पंचायत भावरी द्वारा जारी किया गया था, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या एक व उसके पति के पास अलग-अलग भूखण्ड है, परन्तु नियम 157(2) के तहत ऐसे परिवार जिनके पास कहीं भी कोई गृह/गृह स्थल नहीं हो, ऐसे ही परिवार के लिए पट्टा जारी किया जा सकता है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत भावरी के पदाधिकारियों द्वारा पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायजीराज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(2) के प्रावधानों का अवलोकन नहीं किया गया है। जहां तक उक्त विवादित पट्टे की भूमि/भूखण्ड के कब्जे का सवाल है तो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि/भूखण्ड पर कब्जे के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या दो ने न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश आबूपर्वत केम्प आबूरोड में कब्जे दिलाने बाबत् एक वाद प्रस्तुत किया, जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादित पट्टे की भूमि/भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या एक कब्जा नहीं था, जिसके उपरान्त उक्त वादग्रस्त भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या दो द्वारा क्रय करने के पश्चात उनके द्वारा उक्त वादग्रस्त भूखण्ड पर कब्जा दिलवाने बाबत वाद न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश आबूपर्वत केम्प आबूरोड में प्रस्तुत किया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी संख्या तीन द्वारा उक्त विवादित पट्टे के एक हिस्से का बेचान जरिए

जिला कलेक्टर, सिरोही

लगातार पेज नं. 06

रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के श्री हंसाराम पुत्र श्री धन्नाजी पटेल निवासी नितौडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के हक में किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत भावरी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा संख्या 002423 दिनांक 17.12.2009 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है। साथ ही ग्राम पंचायत भावरी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड की मौके पर कब्जे व मालिकी स्वामित्व की जांच कर एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार नए सिरे से पट्टा जारी करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही